

फर्द अहकाम


शैलेशराज

बनाम अनिल कौं

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 45/2025 T.I.

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>Notices Bump At 24/7/25</p>	<p>24/7/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित वकील शर्मा ने ज्ञा. पत्र अस्थाई निषेध को आगे नहीं चलाकर नोटिस अंकित कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील शर्मा द्वारा नोटिस किये जाने के आधार पर ज्ञा. पत्र अस्थाई निषेध द्वारा खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के नंबर हफ्ट डर्ज नं. 15 कम ही 6/1/25 दर्ज रहे।</p>


 उपखण्ड अधिकारी
 फागी